राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक प.11(3)10/मो/आईसीडीएस/2011/ 67725 जयपुर, दिनांक 6.8.14

परिपत्र

(आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका का मानदेय सेवा पर चयन करने, हटाने एवं अवकाश आदि अन्य विविध मामलों की प्रक्रिया)

विभाग द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय सेवा पर चयन, सेवा से पृथकीकरण एवं अवकाश आदि प्रकरणों के लिए पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प. 11(3)10/मों/आईसीडीएस/2011/103625 दिनांक 12.07.2013 में संशोधन कर निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

1. **मानदेय सेवा में चयन**

(A) ग्रामीण क्षेत्र

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4 (02)पंराज/सशक्त/2010/27 दिनांक 02.10.2010 एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (3)(33)/मों/मबावि/2000/71981 दिनांक 02.10.2010 के द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका के ग्रामीण क्षेत्र में चयन का अधिकार ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा चयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(i) मानदेय सेवा कर्मियों के लिए चयन कार्य हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा, सर्वप्रथम केन्द्रवार रिक्तियों का व्यापक प्रचार प्रसार संबंधित केन्द्र के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में किया जाकर एक निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाऐंगे। व्यापक प्रचार प्रसार के लिए रिक्त केन्द्रों की सूचना ग्राम सचिवालय में उपस्थित होने वाले सभी कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रदान की जाएगी। साथ ही ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना चस्पा की जाएगी। उक्त सूचना ग्राम सभा की बैठक से कम से कम 10 दिवस पूर्व प्रसारित की जाएगी। उक्त सूचना में यह स्पष्ट किया जायेगा कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर आगामी ग्राम सभा में विचार कर निर्णय किया जायेगा। सूचना में पद के लिए निर्धारित योग्यता का विवरण अंकित करते हुए यह स्पष्ट किया जायेगा कि आवेदन पत्र सीडीपीओ कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। परियोजना कार्यालय में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों (मय संलग्नकों) की प्राप्ति रसीद आवेदक को प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी के माध्यम से ग्रामसभाओं में चयन हेतु ग्राम पंचायत को प्रेषित किये जावेंगे। ग्राम पंचायत में सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों का रिकार्ड संबंधित सचिव ग्राम पंचायत द्वारा रखा जाना आवश्यक होगा तथा सचिव,

ग्राम पंचायत प्राप्ति रसीद देकर ग्रामसभा आयोजन के समय तथा तिथि से भी अवगत करायेगें।

(ii) निर्धारित योग्यताधारी महिला चयन के समय ग्राम सभा की बैठक के दौरान भी आवेदन पत्र दे सकेंगी, जिसका इन्द्राज ग्राम सचिव एवं विभागीय प्रतिनिधि अपने–अपने रिकार्ड में करेगें। इसकी प्राप्ति रसीद आवेदक को ग्राम सचिव द्वारा ग्रामसभा स्थल पर ही दी जाएगी।

(iii) ग्रामसभा द्वारा प्राप्त सभी आवेदन पत्रों में से नीचे वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुरूप वरीयता सूची तैयार की जायेगी तथा योग्यतम महिला का चयन कर चयन प्रस्ताव को ग्राम पंचायत की स्थाई समिति में अनुशंषा हेतु भिजवाया जायेगा। स्थाई समिति की अनुशंषा बाल विकास परियोजना अधिकारी को आदेश जारी करने हेतु प्रेषित की जायेगी।

(iv) चयन हेतु वांछित पात्रता आगामी बिन्दु संख्या 2 के अनुसार होगी।

(B) शहरी क्षेत्र

शहरी क्षेत्र में चयन का कार्य निम्न समिति द्वारा सम्पन्न किया जावेगाः–

1– मेयर/अध्यक्ष/सभापति (नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद) अथवा उनके द्वारा नामित कोई एक पार्षद	**अध्यक्ष**
2– संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी	**सदस्य सचिव**
3– संबंधित वार्ड पार्षद	**सदस्य**
4– सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक	**सदस्य**

शहरी क्षेत्रों से संबंधित बाल विकास परियोजना में मानदेय सेवा कर्मियों के लिए चयन कार्य हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा, सर्वप्रथम केन्द्रवार रिक्तियों का व्यापक प्रचार प्रसार संबंधित केन्द्र के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में किया जाकर एक निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाऐंगे। साथ नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना चस्पा की जाएगी। उक्त सूचना चयन समिति की बैठक से कम से कम 10 दिवस पूर्व प्रसारित की जाएगी। उक्त सूचना में यह स्पष्ट किया जायेगा कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर चयन समिति की बैठक में विचार कर निर्णय किया जायेगा। सूचना में पद के लिए निर्धारित योग्यता का विवरण अंकित करते हुए यह स्पष्ट किया जायेगा कि आवेदन पत्र सीडीपीओ कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। परियोजना कार्यालय में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों (मय संलग्नकों) की प्राप्ति रसीद आवेदक को प्रदान किया जाना आवश्यक होगा तथा चयन समिति की बैठक के आयोजन के समय तिथि से भी अवगत करायेगें। चयन समिति की बैठक के समय भी किसी आवेदक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा, इसकी प्राप्ति रसीद विभागीय प्रतिनिधि द्वारा दी जाएगी।

ग्रामसभा तथा तत्पश्चात् ग्राम पंचायत की स्थाई समिति/शहरी चयन समिति द्वारा चयन का अनुमोदन होने के उपरान्त संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि किया गया चयन विभागीय दिशा–निर्देशानुरूप ही है। इस आशय से आश्वस्त

होने के उपरान्त संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में चयन की सूचना जारी करेंगे तथा यथाशीघ्र कार्यविधि प्रशिक्षण/प्रारम्भिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे।

प्रारम्भिक प्रशिक्षण/ कार्यविधि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के उपरान्त ही चयन आदेश जारी किये जावेंगे तथा इसके उपरान्त केन्द्र पर कार्य करने पर मानदेय का लाभ देय होगा। चयनित कार्मिकों ने यदि प्रारम्भिक प्रशिक्षण ही प्राप्त किया है तो उसे 2 वर्ष की अवधि में कार्यविधि प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि में नामांकन करने के बावजूद भी यदि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जाता है तो संबंधित मानदेय कार्मिक का मानदेय प्रशिक्षण प्राप्त करने तक रोक दिया जाएगा।

आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका राज्य कर्मचारी नहीं होकर मानदेय सेवाकर्मी है। इनके द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं के लिए निर्धारित दरों के अनुसार इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। ये पूर्णतः अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली कार्यकर्ता है। इस बाबत चयन आदेश में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

2. <u>चयन हेतु वांछित पात्रता</u>

<u>**आंगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका**</u>

(i) **स्थानीय निवासी होना**–आवेदन करने वाली महिला जिस केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उस केन्द्र के कवरेज क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए। <u>किसी केन्द्र का कवरेज क्षेत्र एक से अधिक ग्रामों/वार्डो का है, तो वह तदनुसार संबंधित ग्रामों/वार्डो में से किसी ग्राम/वार्ड की निवासी हो सकती है।</u>
<u>यदि आंगनबाडी कवरेज क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाली विवाहित महिला उपलब्ध नहीं होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में चयन समिति चयन प्रस्ताव में यह अंकित करेगी कि आंगनबाडी कवरेज क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाली विवाहित महिला उपलब्ध नहीं के कारण केन्द्र के कवरेज क्षेत्र से सटे हुए पडोसी क्षेत्र की योग्यता पूर्ण करने वाली महिला का चयन किया जा रहा है।</u>

(ii) **वैवाहिक स्थिति** –महिला का विवाहित होना आवश्यक है।

(iii) **शैक्षणिक योग्यता** –आंगनबाडी कार्यकर्ता हेतु न्यूनतम दसवीं पास तथा सहायिका व मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता हेतु न्यूनतम आठवीं पास होना वांछित है। विशेष परिस्थितियों में शैक्षणिक योग्यता में देय सावधिक शिथिलता का प्रावधान आगे निर्दिष्ट किया गया है।

(iv) **आयु** – चयन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष वांछनीय है। अधिकतम आयु में शिथिलता किसी भी स्थिति में देय नहीं होगी। निर्धारित योग्यता की महिला उपलब्ध नहीं होने पर शैक्षणिक व अन्य योग्यता पूर्ण करने वाली महिला को न्यूनतम आयु में दो वर्ष तक की शिथिलता ग्राम सभा/शहरी चयन समिति द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेख करते हुए दी जा सकेगी। शैक्षणिक योग्यता व न्यूनतम आयु में छूट एक साथ नहीं मिलेगी।

(v) **श्रेणीवार प्राथमिकता** –न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने वाली महिलाओं में से निम्नानुसार श्रेणीवार प्राथमिकता प्रदान की जाएगी:–

a) विधवा

b) परित्यक्ता/तलाकशुदा

c) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति

d) अल्पसंख्यक वर्ग

e) **कार्यानुभव**–चयन हेतु निर्धारित क्षेत्र में उसी केन्द्र पर अथवा उसके अधिगृहीत क्षेत्र में स्थित मिनी आंगनबाडी केन्द्र पर कार्यकर्ता या मिनी कार्यकर्ता या सहायिका या आशा सहयोगिनी के रुप में कम से कम एक वर्ष का सफल कार्यानुभव

f) **आवेदन कर्ता महिलाओं में उच्चतम शैक्षणिक योग्यताधारी**–यहां यह उल्लेखनीय है कि स्नातक से अधिक यदि कोई उपाधि (उदाहरण के लिए स्नातकोत्तर डिग्री आदि) हो तो उस पर गौर नहीं किया जाएगा। यदि एक से अधिक आवेदक स्नातक डिग्री प्राप्तकर्ता हो तो ग्राम सभा/शहरी चयन समिति द्वारा लोटरी से चयन किया जाएगा।

g) अन्य, जो विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की जावें।

जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्र में लाभान्वितों का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों के लिए चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यत किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में लाभान्वितों की गणना आंगनबाडी सर्वे रजिस्टर के आधार पर की जानी चाहिए। चयन संबंधी अन्य श्रेणीवार प्राथमिकता उपरोक्तानुसार ही रहेंगी। ऐसे क्षेत्रों में संबंधित वर्ग की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला केन्द्र कवरेज क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होने पर ही अन्य वर्ग की महिला का चयन किया जा सकेगा।

(vi) शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता–

(अ) शहरी क्षेत्र–

शहरी क्षेत्र में इस परिपत्र के जारी होने के उपरान्त शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता किसी भी मानदेय सेवा कर्मी के लिए देय नहीं होगी।

(ब) ग्रामीण क्षेत्र–

महिलाओं में शैक्षणिक पिछडेपन की स्थिति के कारण यदि परियोजना के किसी आंगनबाडी केन्द्र पर आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता या सहायिका पद हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी महिला उपलब्ध नहीं हो तो केन्द्र को क्रियाशील करने की दृष्टि से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता निम्नानुसार प्रदान की जा सकेगी।

आंगनबाडी कार्यकर्ता पद हेतु न्यूनतम 8वीं पास, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता हेतु न्यूनतम 5 वीं पास तथा सहायिका हेतु न्यूनतम 5वीं पास तक की महिलाओं को शिथिलता दी जा सकेगी।

निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला उपलब्ध नहीं होने पर शिथिलता के प्रस्ताव हेतु ग्राम सभा के कार्यवाही विवरण में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की कार्य करने की इच्छुक कोई महिला उपलब्ध नहीं है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला का आवेदन प्राप्त नहीं होने पर ग्रामसभा में अन्य महिलाओं में से अधिकतम योग्यतावाली महिला का ही चयन प्रस्ताव लिया जा सकेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी, इस प्रस्ताव को प्राप्त कर गांव/क्षेत्र में निवास करने वाली अधिकतम शैक्षणिक योग्यता वाली (आठवीं या इससे अधिक कक्षा उत्तीर्ण) तथा पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने वाली महिला के लिए शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता हेतु अनुमोदन करने हेतु प्रस्ताव उप निदेशक, आईसीडीएस के माध्यम से जिला परिषद् की साधारण सभा में प्रस्तुत करेंगे। जो कि शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करने में सक्षम होगी।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक शिथिलता का प्रस्ताव भेजने से पूर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित महिला केन्द्र संचालन व रिकार्ड संधारण हेतु शैक्षणिक रूप से करने में समर्थ/योग्य है। यह छूट सिर्फ उस परिस्थिति में मिलेगी जब महिला, अन्य सभी अनिवार्य योग्यताऐं पूर्ण करती है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व न्यूनतम आयु में छूट एक साथ नहीं मिलेगी।

शिथिलता हेतु जिला परिषद् से अनुमोदन प्राप्त होने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी चयन आदेश जारी कर सकेगें। ऐसी महिला के चयन आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला उपलब्ध होने पर उसे मानदेय सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। इसका प्रथम चयन आदेश एक वर्ष का होगा एवं समय–समय पर अधिकतम एक वर्ष के लिए अभिवृद्धि की जा सकेगी। चयनित मानदेयकर्मी द्वारा यदि उक्त अवधि में वांछित शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर ली जाती है तो वह मानदेय सेवा पर कार्य करती रहेगी। यदि उक्त महिला निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित नहीं करती है तथा निर्धारित योग्यता की महिला मानदेय सेवा के लिए उपलब्ध हो जाती है तो उसे मानदेय सेवा से पृथक किया जाएगा। इस तथ्य को उसके चयन आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा। साथ ही उक्त महिला से यह भी शपथ पत्र लिया जाएगा कि "निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला उपलब्ध होने पर वह स्वतः ही मानदेय सेवा से त्याग पत्र दे देगी और इस संबंध में कोई विधिक कार्यवाही नहीं करेगी"।

प्रायः यह भी दृष्टिगोचर हुआ है कि कभी–कभी एक ही परिवार की महिलाएं यथा, देवरानी– जिठानी, सास–बहु, ननद–भाभी का एक ही केन्द्र के लिए मानदेय सेवा में चयन कर लिया जाता है जिससे कार्यक्रम का जुडाव विस्तारित नहीं हो पाता। अतः एक परिवार की केवल एक ही महिला का चयन नियमानुसार किया जावे ताकि कार्यक्रम के प्रति अधिकतम परिवारों का जुडाव हो सके।

(vii) विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप चयन नहीं होने पर अपील –

a. यदि ग्रामसभा तथा तत्पश्चात् ग्राम पंचायत की स्थाई समिति अथवा नगरीय चयन समिति में सर्वसम्मति से उपयुक्त पात्रताधारी महिला का चयन नहीं होता है;

b. यदि ग्रामसभा तथा तत्पश्चात् ग्राम पंचायत की स्थाई समिति /नगरीय चयन समिति ऐसी महिला का चयन प्रस्ताव परियोजना अधिकारी को देती है जो वांछित पात्रता एवं वरीयता क्रम में सर्वथा उपयुक्त नहीं है एवं विभागीय नियमानुसार नहीं है;

c. यदि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा ग्रामसभा तथा तत्पश्चात् ग्राम पंचायत की स्थाई समिति /नगरीय चयन समिति से प्राप्त प्रस्ताव का अतिक्रमण कर चयन आदेश जारी किये हों–

तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रभावित पक्ष अथवा बाल विकास परियेाजना अधिकारी/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी अधोनिर्दिष्ट समिति के सम्मुख अपील प्रकरण बनाकर प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए परियोजना क्षेत्रानुसार निम्न अपीलीय समिति होंगी :–

<u>ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपील समिति</u>

पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति

<u>शहरी क्षेत्रों हेतु अपील समिति</u>

जिला कलेक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर से कम रैंक का ना हो– – **अध्यक्ष**
उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग – **सदस्य**

उपर्युक्त दोनों समिति द्वारा अपील प्राप्त होने के दो माह की अवधि में उसका निस्तारण किया जाएगा।

प्रथम अपील समिति के निर्णय से अपीलकर्ता के असन्तुष्ट रहने की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद् की प्रशासनिक एवं स्थापना स्थायी समिति के समक्ष द्वितीय अपील की जा सकेगी। शहरी क्षेत्र के लिए द्वितीय अपील अतिरिक्त निदेशक (शिशु), महिला एवं बाल विकास विभाग को की जा सकेगी। उक्त अपील का निर्णय अंतिम होगा।

परन्तु विशिष्ट परिस्थिति में किसी प्रकरण में राज्य सरकार को किसी भी स्तर पर अनियमित कार्यवाही की शिकायत प्राप्त होती है तो आदेश जारी होने के 90 दिवस के अंदर राज्य सरकार नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों को मॅगवाकर परीक्षण कर उचित आदेश प्रसारित कर सकती है। इस संबंध में प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

3. <u>मानदेय सेवा से पृथकीकरण</u> –

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता का मानदेय से पृथकीकरण निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जा सकेंगा :–

i) आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाडी कार्यक्र्ता द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मानदेय सेवाएँ समाप्त कर दी जायेंगी। मानदेय कर्मी द्वारा मानदेय सेवा अवधि पूर्ण होने से 3 से 6 माह पूर्व सेवा अवधि में विस्तार हेतु आवेदन करने पर कार्यक्रम संचालन के हित में मानदेय सेवा अवधि को अधिकतम 2 वर्ष बढाकर 62 वर्ष तक किया जा सकता है। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी:–

a) <u>प्रत्येक त्रैमास की प्रथम तारीख को बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उन आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाडी कार्यक्र्ता/आशा सहयोगिनी की सूची जारी की जाएगी जिनकी मानदेय सेवा अगले 6 माह में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर समाप्त की जा सकती है। ताकि मानदेय कर्मी द्वारा मानदेय सेवा अवधि पूर्ण होने से 3 से 6 माह पूर्व सेवा अवधि में विस्तार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सके। इस बारे में मानदेय कर्मियों को सूचित करने की जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षक की होगी।</u>

b) कार्यकर्ता द्वारा सेवा विस्तार का आवेदन सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को किया जायेगा। ऐसे समस्त प्रकरणें निस्तारण हेतु इस उद्देश से गठित ***मानदेयसेवा अवधि में विस्तार समिति*** के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।

c) जिले की शहरी परियोजनाओं हेतु जिला कलेक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर से कम रेन्क का न हो) द्वारा ***मानदेयसेवा अवधि में विस्तार समिति*** की अध्यक्षता की जायेगी जिसमें उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव तथा सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य होगें।

d) जिले की शेष परियोजनाओं हेतु ***मानदेयसेवा अवधि में विस्तार समिति*** की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा की जायेगी। जिसमें उप निदेशक, आईसीडीएस सदस्य सचिव तथा सम्बन्धित विकास अधिकारी, पंचायत समिति व सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य होंगें

e) जिले की समस्त परियोजनाओं हेतु उक्त निर्धारित समिति का गठन तथा नियमित बैठक के लिए उप निदेशक, मबावि जिम्मेदार होगा। प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि मानदेय कर्मी की सेवा समाप्ति पूर्व ही समीक्षा हेतु प्रकरण समिति के सम्मुख प्रस्तुत करें। जिसे समिति द्वारा 10 दिन के भीतर–भीतर निस्तारित किया जायेगा। इसका विधिवत रिकार्ड भी रखा जायेगा।

f) समिति द्वारा सेवा विस्तार के लिए परीक्षण करते समय आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानसिक एवं भौतिक स्वास्थ्य, कार्य निष्पादन, गृह सम्पर्क क्षमता, कार्य के प्रति लगन एवं समर्पण तथा कार्य/विभिन्न सेवा प्रदाय करने के बारे में प्राप्त प्रशंसा/शिकायतों को ध्यान में रखा जाएगा। अधिकतम 2 वर्ष के लिए सेवा विस्तार किया जा सकेगा। सेवा विस्तार का आदेश बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। जिसमें सेवा समाप्ति की तिथि भी स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी। किसी भी स्थिति में 62 वर्ष के पश्चात सेवा अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।

ii) यदि आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता किसी प्रकार के दुराचरण की दोषी पायी जाती है या किसी न्यायालय द्वारा दोषी पाई जाती है तो उसे मानदेय से पृथक किया जा सकेगा।

iii) जिला स्तरीय अधिकारी, निदेशालय के अधिकारियों अथवा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आंगनबाड़ी केन्द्र बंद पाये जाने व गम्भीर अनियमितता पर संक्षिप्त जांच उपरान्त मानदेय कर्मियों को दोषी पाये जाने पर मानदेय सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में संबंधित मानदेय कार्यकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, संक्षिप्त जांच उपरान्त, उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मानदेय कर्मियों को सेवा से पृथक किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। निर्णय से संबंधित निरीक्षणकर्ता को भी आवश्यक रूप से सूचित किया जावेगा। उक्त निर्णयों के संबंध में मानदेय सेवा से पृथक किये गये मानदेय कर्मी 30 दिवस की अवधि में अपनी अपील ग्रामीण परियोजनाओं में जिला परिषद् की प्रशासन एवं स्थापना समिति तथा शहरी परियोजनाओं में अतिरिक्त निदेशक (शिशु) निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ को कर सकेगी। उक्त अपील का निस्तारण एक माह में करना होगा। अपील के निस्तारण तक संबंधित मानदेयकर्मी के स्थान पर नवीन चयन नहीं किया जाएगा किन्तु अस्थाई व्यवस्था की जा सकती है।

iv) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामसभा/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक अथवा परियोजना स्तरीय अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में बाल विकास परियोजना अधिकारी/ पर्यवेक्षक अथवा परियोजना स्तरीय अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दोषी पाया जाता है तो बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा उस केन्द्र की विशेष रूप से जॉच व निगरानी रखी जावेगी। इसी के तहत संबंधित कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका को एक–एक माह के अन्तराल पर कार्य में अपेक्षित सुधार हेतु दो नोटिस दिये जायेंगे। इसके उपरान्त भी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका के कार्य में सुधार नहीं होता है तो संबंधित मानदेय कार्मिक को परियोजना अधिकारी द्वारा मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकता है।

मानदेय सेवा से पृथक किये गये ऐसे मानदेय कर्मी 30 दिवस की अवधि में अपना अभ्यावेदन (अपील) ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति को एवं शहरी क्षेत्र में उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त अपील का निस्तारण एक माह में करना होगा। पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति/उप निदेशक के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद् की स्थापना समिति एवं शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त

निदेशक (शिशु), निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ को अपना अभ्यावेदन एक माह की अवधि में प्रस्तुत कर सकेंगे।

परन्तु विशिष्ट परिस्थिति में किसी प्रकरण में राज्य सरकार को किसी स्तर पर अनियमित कार्यवाही की शिकायत प्राप्त होती है तो आदेश जारी होने के 90 दिवस के अंदर राज्य सरकार नियुक्ति/पृथकीकरण आदि से संबंधित प्रकरणों को मँगवाकर परीक्षण कर उचित आदेश प्रसारित कर सकती है। इस संबंध में प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

v) शिकायत/अनियमितता के कारण मानदेय सेवा से पृथक की गई महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में पुनः मानदेय सेवा में नहीं लिया जा सकेगा। **किन्तु किसी भी कारणवश स्वेच्छा से त्याग पत्र देने वाली आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका को उसके अनुभव का लाभ देते हुए पुनः मानदेय सेवा में लेने के लिए कोई अवरोध नही होगा।**

vi) **यदि कोई महिला चयन के पश्चात तीन वर्ष तक की अवधि में स्वेच्छा से त्यागपत्र देती है तो उसे प्रशिक्षण में किये गये व्यय का पुनर्भरण करना होगा इस आशय का वचन पद पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लिया जायेगा उक्त राशि का निर्धारण निदेशालय द्वारा समय–समय पर किया जाकर पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।**

4. **<u>आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका के उच्च शैक्षणिक अध्ययन हेतु अनुमति –</u>**

i) आंगनबाडी केन्द्र पर मानदेय सेवा पर कार्यरत आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका को, यदि उसकी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं है तथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के लिए अनुमति चाहती है, तो उसे अध्ययन की अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी की अनुशंषा के आधार पर उप निदेशक द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है।

ii) आंगनबाडी/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका प्राईवेट उच्च अध्ययन हेतु स्वीकृति चाहती है तो अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

उक्त दोनों बिन्दुओं के क्रम में आंगनबाडी मानदेय कार्मिकों को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के नियमित अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए अवकाश तथा अनुमति देय नहीं होगी। यदि कोई मानदेय कर्मी बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए (जैसे बी.एड़, एसटीसी, एएनएम प्रशिक्षण आदि) प्रस्थान कर जाती है तो, उसे तत्काल मानदेय सेवा से पृथक कर दिया जाएगा तथा उसके स्थान पर अन्य मानदेय कार्मिक को चयन किया जायेगा।

केवल परीक्षा देने हेतु परीक्षा दिवसों का अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि मानदेय कार्मिक के अध्ययन से आईसीडीएस सेवाओं की गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अध्ययन हेतु पूर्वानुमति उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा देय होगी। आंगनबाडी कार्यकर्ता के उच्च अध्ययन के अन्तर्गत उसके परीक्षा दिवसों को उसी केन्द्र की सहायिका द्वारा केन्द्र संचालन का कार्य किया जाएगा। मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की उच्च अध्ययन के क्रम में परीक्षा दिवसों में उसके निकटतम आंगनबाडी केन्द्र की कार्यकर्ता द्वारा केन्द्र का पोषाहार आदि का कार्य सम्पादित किया जाएगा।

5. **<u>आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चुनाव में भाग लेना</u>**–

आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका के स्थानीय निकाय चुनाव/पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने से पूर्व त्याग पत्र दिया जाना आवश्यक होगा। परन्तु यदि वह चुनाव में पराजित हो जाती है तो वह पुनः चयनित होकर मानदेय सेवा में आ सकती है। इसके लिए उसे बिन्दु संख्या 2 (v)(e) के अनुरूप प्राथमिकता देय होगी।

6. **<u>मानदेय कार्मिकों को देय अवकाश</u>**

(A). <u>प्रसूति अवकाश</u>

i) इस अवकाश की अधिकतम अवधि 180 दिवस होगी। प्रसूति अवकाश आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा गर्भावस्था के 8वें माह से लिया जा सकता हैं।

ii) प्रसूति अवकाश सुविधा अधिकतम दो बार देय होगी।

iii) प्रसूति अवकाश की सुविधा उन्हीं कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को देय होगी जिनके दो से कम जीवित सन्तान ,हैं।

iv) <u>मानदेय कर्मियों द्वारा प्रसूती अवकाश के लिए चिकित्सक द्वारा जारी संभावित प्रसवतिथि (इडीडी) अथवा बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के साथ साधारण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।</u>

v) <u>प्रसूती अवकाश की अवधि का मानदेय भुगतान अवकाश की अवधि के दौरान नियमित रूप से किया जावे।</u>

i) प्रसूति अवकाश के दौरान इन्हें पूर्ण मानदेय का भुगतान किया जावेगा, जो कि वह प्रसूति अवकाश से पूर्व प्राप्त कर रही थी।

(B) <u>गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश :–</u>

i) यह अवकाश घटना के दिवस से अधिकतम 45 दिवस का होगा।

ii) प्रसूति अवकाश के अतिरिक्त यह सुविधा एक ही बार देय होगी।

iii) इस अवकाश की स्वीकृत करने के लिए कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका पर जीवित बच्चों की संख्या का उपबन्ध प्रभावी नहीं होगा।

iv) <u>यह अवकाश चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है।</u>

v) <u>गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश की अवधि का मानदेय भुगतान अवकाश की अवधि के दौरान नियमित रूप से किया जावे।</u>

कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के प्रसूति /गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश पर जाने की स्थिति में केन्द्र की गतिविधियां प्रभावित नहीं हो, इसे ध्यान में रखकर वैकल्पिक व्यवस्था कर केन्द्र संचालन सुचारू रखा जावेगा।

आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी कार्यकर्ता को देय अवकाश –

1.	ईदुलफितर (चांद से)	1 दिवस
2.	होली दहन	1 दिवस
3.	घुलण्डी	1 दिवस
4.	ईदुलजुहा (चांद से)	1 दिवस
5.	रामनवमी	1 दिवस
6.	रक्षा बन्धन	1 दिवस
7.	जन्माष्टमी	1 दिवस
8.	विजय दशमी (दशहरा)	1 दिवस
9.	दीपावली	1 दिवस
10.	गोवर्धन पूजा	1 दिवस
11.	क्रिसमिस	1 दिवस

कुल 11 दिवस

उक्त अवकाशों के अतिरिक्त, जिला कलेक्टर द्वारा घोषित दो स्थानीय अवकाश भी देय होगें।

(C) आकस्मिक अवकाश :–

भारत सरकार के पत्र क्रमांक 19–9/85–सी.डी.(I) दिनांक 19.03.85 के अनुरूप इन्हें वर्षभर में कुल 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। एक बार में अधिकतम 10 दिवस का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकेगा। आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच एवं शहरी क्षेत्र में महिला पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

7. मानदेय कार्मिकों को देय यात्रा भत्ता–

आईसीडीएस मेन्युअल के अनुसार आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका को राजकीय कार्य से बैठक/प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने पर आंगनबाडी कार्यकर्ता को कनिष्ठ लिपिक के समकक्ष तथा मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका को सहायक कर्मचारी के समकक्ष यात्रा भत्ता देय होगा।

कार्यकर्ता के आकस्मिक/प्रसूति/गर्भपात अवकाश पर होने की स्थिति में केन्द्र खोलकर पोषाहार वितरण एवं अन्य कार्य का उत्तरदायित्व उस केन्द्र की सहायिका का होगा।

आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता मानदेय सेवाकर्मी है। अतः इनका स्थानान्तरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकेगा।

आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आंगनबाडी सहायिका का मानदेय परियोजना कार्यालय से सीधा बैंक खाते में ही जमा करवाया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में विशेष परिस्थिति में यदि मानदेय कर्मी द्वारा उपस्थिति पेश करने के दस दिन में सरपंच द्वारा उपस्थिति

प्रमाणित नहीं होती है तो उस ग्राम में ही कार्यरत राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक व संबंधित महिला/पुरूष पर्यवेक्षक से प्रमाणित करवाई जा सकेगी।

आंगनबाडी केन्द्रों का कार्य समय निम्नानुसार होगा जो आवश्यकता अनुसार बदला भी जा सकेगा।

आंगनबाडी केन्द्र संचालन समय	
ग्रीष्मकालीन (1अप्रैल से 30 सितम्बर)	08:00 बजे से 12:00 बजे तक (4 घण्टे)
शरदकालीन (1 अक्टूबर से 31 मार्च)	10:00 बजे से 2:00 बजे तक (4 घण्टे)

(हरी मोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.11(3)10/मो/आईसीडीएस/2011/6776-68421 जयपुर, दिनांक 6.8.14

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, (बाल विकास) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, प्रभारीमंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. अति. मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
5. आयुक्त, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त जिला प्रमुख।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
9. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
10. प्रधान, पंचायत समिति, समस्त।
11. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
12. समस्त बाल विकास परियोजना, अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
13. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।

(सी.एम. मीना)
संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

समेकित बाल विकास सेवाएँ, 2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर
Website:-www.wcd.rajasthan.gov.in.(Tel-fax 0141-2700281) T.N.-0141-2712939